

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025
2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0086 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 07/04/2025 18:06 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7(c)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(a)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)
4	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 01/04/2020 Date To (दिनांक तक): 20/06/2023
Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 14:00 बजे Time To (समय तक): 11:00 बजे
(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 07/04/2025 Time (समय): 13:00 बजे
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय): 07/04/2025 18:06:34 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 36 किमी Beat No. (बीट सं.): NOT APPLICABLE
(b) Address(पता): NAGAR PALIKA RAJGARH,, JILA ALWAR
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): RAJENDRA CHEYARWAL

(b) Father's Name (पिता का नाम): RADHAKRISHAN CHEYARWAL

(c) Date/Year of Birth
(जन्म तिथि/ वर्ष): 1985

(d) Nationality(राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

(जारी करने की तिथि):

Place of Issue

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	TENT BILA BORLA BAL, RAJGARH, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	TENT BILA BORLA BAL, RAJGARH, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number

(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars
(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	NAVEEN KUMAR MEENA		पिता: RAMPRASAD MEENA	1. GRAM JAIPUR, MAHUWA, DAUSA, RAJ
2	SATISH KUMAR MEENA		पिता: KAILASH CHAND MEENA	1. GRAM GIRDHARIPURA POST HINGWA, SIKRAY, DAUSA, RAJA
3	LALLU PRASAD SAINI AND OTHERS		पिता: CHHUJOO RAM SAINI	1. KHAVVARAVJI POST APARDA, NANGAL, DAUSA, RAJ ASTHAN, INDIA

Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		83,297.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)) : 83,297.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

मुकदमा हालात इस प्रकार है कि कार्यालय नगर पालिका राजगढ़ अलवर के कार्यकारी अध्यक्ष श्री राजेन्द्र चैयरवाल पुत्र श्री स्व. श्री राधाकृष्ण चैयरवाल राजगढ़ जिला अलवर ने जरीये पत्रांक 429 दिनांक 11.05.2022 के संलग्न प्राप्त जांच रिपोर्ट मे मुख्यतय नगर पालिका राजगढ़ के तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष श्री सतीश दुहारिया एवं अधिशाषी अधिकारी व अन्य कर्मचारियों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर एवं आपसी मिलीभगत करते हुये विभिन्न विकास आदि खरीद फरोख्त कार्यों में धांधली कर एवं सामग्री/सेवाओं का नियमों के विरुद्ध गम्भीर अनियमितताएँ कर नगर पालिका राजगढ़ कोष को हानि एवं स्वयं व अन्य मे तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी श्री नवीन मीणा, सहायक अभियंता श्री सतीश कुमार मीना, सहायक अभियंता श्री नवीन कुमार, अधिशाषी अभियंता द्वारा संवेदक फर्म सैनी ट्रेडिंग कम्पनी प्रोपराईटर श्री लल्लू प्रसाद सैनी को 83297/- रुपये का नुकसान पहुंचाना पाया है। कार्यालय नगर पालिका राजगढ़ अलवर के तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष श्री राजेन्द्र चैयरवाल पुत्र श्री स्व. श्री राधाकृष्ण चैयरवाल राजगढ़ जिला अलवर के उक्त पत्र के संलग्न जांच रिपोर्ट के क्रम में मुख्यालय के निर्णय अनुसार उक्त वर्णित आरोप पर जाँच हेतु अज्ञात लोक सेवको, लाभार्थी फर्मों व अन्य के विरुद्ध जाँच करने हेतु ब्यूरो मुख्यालय के निर्देशानुसार प्राथमिक जाँच सं. 27/2023 पंजीबद्ध की गई। उक्त प्राथमिक जाँच की जाँच के दौरान प्राप्त किये गये साक्ष्यों के आधार पर पाया गया कि उक्त कार्यों की पुनः एनआईटी क्रमांक 81-86 दिनांक 15.04.2021 के द्वारा जारी की गई। पूर्व निविदा और इस निविदा की शरायतो में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इस निविदा को भी नगर पालिका राजगढ़ के आदेश क्रमांक 172-78 दिनांक 26.04.2021 के द्वारा कोविड -19 महामारी का हवाला देते हुये निरस्त कर दिया गया। उक्त निरस्त किये गये कार्यों की पुनः निविदा सूचना संख्या 4/2021-22 क्रमांक 76-82 दिनांक 27.04.2021 जारी की गई जिसको बंद लिफाफे में निविदाये प्राप्त कर अधिशाषी अधिकारी एवं अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन के उपरान्त कार्यदिश जारी किया गया। निविदा सूचना संख्या 4/2021-22 से नगर पालिका राजगढ़ द्वारा राजगढ़ कस्बे मे करवाये गये निर्माण/मरम्मत कार्यों के संबंध में मन जाँच अधिकारी द्वारा अधिशाषी अभियंता सा.नि. वि राजगढ़ जिला अलवर को जरिये पत्रांक 922 दिनांक 28.06.24 से उपरोक्त निर्माण/मरम्त कार्यों का मौका निरीक्षण कर तकनिकी रिपोर्ट के लिये कमेटी गठित करने हेतु लिखा गया। उक्त जाँच के क्रम मे मन जाँच अधिकारी द्वारा दिनांक 10.07.2024 को नगर पालिका राजगढ़ में पहुंच कर शिकायत से संबंधित रिकॉर्ड आदि का अवलोकन किया तथा नगर पालिका राजगढ़ के कनिष्ठ अभियंता व स्टाफ तथा अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड राजगढ़ जिला अलवर द्वारा गठित सयुक्त कमेटी प्रभारी सदस्य श्री शिवराम मीना, सहायक अभियंता एवं तकनिकी सहायक, सा.नि.वि खण्ड राजगढ़ जिला अलवर, सुश्री स्मृति विजय कनिष्ठ अभियंता सा.नि.विभाग उपखण्ड रैणी जिला अलवर एवं श्री मुकेश शर्मा अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी सा.नि.विभाग खण्ड राजगढ़ जिला अलवर के साथ कस्बा राजगढ़ में नगर पालिका राजगढ़ द्वारा वार्ड नम्बर 11 से 17 मे करवाये गये निर्माण/मरम्मत कार्य के मौका निरीक्षण कर कार्यों को चिन्हित किया जाकर उपस्थित पीडब्ल्यू टीम को उक्त कार्यों की जाँच कर व मेंजर मेन्ट कर माप पुस्तिका से मिलान कर विस्तृत तकनिकी रिपोर्ट देने के निर्देश दिये गये। अधिशाषी अभियन्ता सा0 नि0 विभाग खण्ड राजगढ़ (अलवर) के द्वारा गठित कमेटी में प्रभारी श्री शिवराम मीणा सहायक अभियन्ता, स्मृति विजय कनिष्ठ अभियन्ता रैणी, श्री मुकेश शर्मा अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी ने वार्ड नम्बर 11 से 17 तक शिकायत अवधि में कराये गये निर्माण कार्यों का दिनांक 22-23.07.2024 को भौतिक सत्यापन/मौका रिपोर्ट किया जाकर अधिशाषी अभियंता के मार्फत उक्त जाँच रिपोर्ट इस कार्यालय को जाँच प्रभारी श्री शिवराम मीना सहायक अभियंता खण्ड राजगढ़ के साथ इस कार्यालय मे पेश की गई। जाँच रिपोर्ट अनुसार निविदा संख्या -4 के संबंध में निम्न तथ्य उजागर हुये क्र.सं. निर्माण/मरम्मत कार्य भौतिक सत्यापन जाँच अधिकारी की टिप्पणी 01 वार्ड

संख्या 15 में नगर पालिका के आदेश क्रमांक 431-37 दिनांक 23.06.21 से एनआईटी नं. 04/2021-22 वर्क नम्बर 15 से सम्बन्धित कार्य। 1-वार्ड संख्या 15 में वर्क नं. 15 से सम्बन्धित कार्य:-1. सीसी सडक क्रॉस नाली मरम्मत कार्य पुराना नगरपालिका भवन कमेटी की गली सामोलिया भवन के पास- उक्त कार्य का भौतिक सत्यापन किया गया जो कि एम.बी. नं. 37/2018-19 पेज नं. 32 के अनुसार मौके पर नाली के क्रॉस सेक्शन को निर्धारित मापदण्डानुसार (जी शैडूल) नहीं बनाया गया है। उक्त कार्य में नाली निर्माण के क्रॉस सेक्शन में नगर पालिका द्वारा सीसी की मात्रा 9.922 घन मीटर दर्ज की गई है। जिसकी दर 4650 रुपये प्रति घन मीटर के अनुसार राशि 46137 रुपये एवं उस पर टेन्डर दर / 2.60 प्रतिशत अधिक के अनुसार कुल 1200 रुपये बनते हैं जिनका कुल योग 47337 रुपये होता है। इस प्रकार उक्त कार्य में 47337 रुपये का नियम विरुद्ध अधिक भुगतान कर राज्य सरकार को हानि कारित की है। 1-उक्त कार्य के संबंध में कमेटी द्वारा एम.बी. नं. 37/2018-19 पेज नं. 32 के अनुसार मौके पर नाली के क्रॉस सेक्शन को निर्धारित मापदण्डानुसार नहीं बनाया गया है। जिसकी तकनीकी अधिकारियों द्वारा मुल्यांकन राशि 47337 की हानि कारित होना पाया गया है। 02 वार्ड संख्या 17 में नगर पालिका के आदेश क्रमांक 305 दिनांक 21.06.21 से एनआईटी नं. 04/2021-22 वर्क नम्बर 17 से सम्बन्धित कार्य। सीसी सडक निर्माण कार्य ब्रजवासी गली नं. 01 02 - उक्त कार्य का भौतिक सत्यापन किया गया जो कि एम.बी. नं. 16 पेज नं. 55-56 के अनुसार मिलान नहीं पाया गया है। जिसमें सीसी सडक की मात्रा करीब 15 से 16 प्रतिशत कम पायी गयी। उक्त कार्य में सीसी सडक निर्माण में नगर पालिका द्वारा सीसी की मात्रा 45.21 घन मीटर दर्ज की गई है। जिसकी दर 4700 रुपये प्रति घन मीटर के अनुसार राशि 212487 रुपये दर्ज की गई है। जबकी विभागीय समिति द्वारा कार्य की जांच करने पर मौके पर कुल मात्रा 37.75 घन मीटर पाई गई है। जिसमें 7.46 घन मीटर सीसी कार्य की मात्रा कम पाई गई है। जिसकी राशि 35062 रुपये होती है। जिस पर टेन्डर दर 2.56 प्रतिशत अधिक के अनुसार कुल 898 रुपये बनते हैं जिनका कुल योग 35960 रुपये होता है। इस प्रकार उक्त कार्य के पेटे संवेदक को कम कार्य करने पर भी कार्य का कुल 35960 रुपये का अधिक भुगतान कर राज्य सरकार को हानि कारित की है। उक्त कार्य के संबंध में कमेटी द्वारा एम.बी. नं. 16 पेज नं. 55-56 के अनुसार मौके पर सीसी सडक निर्माण कार्य 13 से 16 प्रतिशत कम पाया गया उक्त कार्य आदेश के लिए 495226 रुपये की स्वीकृति/भुगतान किया गया है। जिसकी तकनीकी अधिकारियों द्वारा मुल्यांकन राशि 35960 रुपये का संवेदक को अधिक भुगतान कर हानि कारित की है। उक्त की गई समस्त कार्यवाही से नगर पालिका राजगढ़ में वार्ड संख्या 15 में वर्क नं. 15 से सम्बन्धित कार्य:-1. सीसी सडक क्रॉस नाली मरम्मत कार्य पुराना नगर पालिका भवन कमेटी की गली सामोलिया भवन के पास- उक्त कार्य का भौतिक सत्यापन किया गया, जोकि एम.बी. नं. 37/2018-19 पेज नं. 32 के अनुसार मौके पर नाली के क्रॉस सेक्शन को निर्धारित मापदण्डानुसार (जी शैडूल) नहीं बनाया गया है। उक्त कार्य में नाली निर्माण के क्रॉस सेक्शन में नगर पालिका द्वारा सीसी की मात्रा 9.922 घन मीटर दर्ज की गई है। जिसकी दर 4650 रुपये प्रति घन मीटर के अनुसार राशि 46137 रुपये एवं उस पर टेन्डर दर 2.60 प्रतिशत अधिक के अनुसार कुल 1200 रुपये बनते हैं जिनका कुल योग 47337 रुपये होता है। इस प्रकार उक्त कार्य में 47337 रुपये का वित्तीय नियम विरुद्ध संवेदक को अधिक भुगतान कर राज्य सरकार को हानि कारित करना पाया गया है। इसी प्रकार नगर पालिका राजगढ़ में वार्ड संख्या 17 में सीसी सडक निर्माण कार्य ब्रजवासी गली नं. 01, 02 - उक्त कार्य का भौतिक सत्यापन किया गया जो कि एम.बी. नं. 16 पेज नं. 55-56 के अनुसार मिलान नहीं पाया गया है। जिसमें सीसी सडक की मात्रा करीब 15 से 16 प्रतिशत कम पायी गयी। उक्त कार्य में सीसी सडक निर्माण में नगर पालिका द्वारा सीसी की मात्रा 45.21 घन मीटर दर्ज की गई है। जिसकी दर 4700 रुपये प्रति घन मीटर के अनुसार राशि 212487 रुपये दर्ज की गई है। जबकी विभागीय समिति द्वारा कार्य की जांच करने पर मौके पर कुल मात्रा 37.75 घन मीटर पाई गई है। जिसमें 7.46 घन मीटर सीसी कार्य की मात्रा कम पाई गई है। जिसकी राशि 35062 रुपये होती है। जिस पर टेन्डर दर 2.56 प्रतिशत अधिक के अनुसार कुल 898 रुपये बनते हैं जिनका कुल योग 35960 रुपये होता है। इस प्रकार उक्त कार्य के पेटे संवेदक को कम कार्य करने पर भी कार्य का कुल 35960 रुपये का अधिक भुगतान कर राज्य सरकार को हानि कारित करना पाया गया है। इसी प्रकार नगर पालिका राजगढ़ के रिकॉर्ड के अनुसार एवं सहायक लेखाधिकारी के प्रक्रिया बयान अनुसार नगर पालिका राजगढ़ के द्वारा अनुपयोगी सामान की निलामी नहीं की गई है, जो सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियम खंड (2) के अनुसार की प्रत्येक वित्तीय वर्ष अनुपयोगी सामान होने की स्थिति में निलामी प्रक्रिया कि जानी चाहिए। उक्त कार्य के लिये तत्कालीन व वर्तमान अधिशाषी अधिकारी व स्टोर प्रभारी का अपनी अपनी समय अवधि में निलामी करने का दायित्व का निर्वहन किया जाना था जो नहीं किया गया। उक्त निलामी नहीं करने से अनुपयोगी सामान का और अधिक खराब होना तथा उक्त निलामी से नगर पालिका को होने वाली आय प्राप्त होने में अनावश्यक विलम्ब हुआ है तथा वित्तीय नियमों की पालना नहीं की गई। इस प्रकार नगर पालिका राजगढ़ जिला अलवर के तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी श्री नवीन कुमार मीणा, श्री बनवारी लाल मीणा, श्री नरसी मीणा, श्री तेजराम मीणा, श्री जगदीश खीचड तथा व वर्तमान अधिशाषी अधिकारी, श्री सुमेर सिंह मीणा एवं तत्कालीन स्टोर प्रभारी श्री सोमदत्त शर्मा कनिष्ठ सहायक, श्री हेतराम बैरवा सफाई निरीक्षक, श्री सन्तोष कुमार मीना कनिष्ठ सहायक वर्तमान स्टोर प्रभारी नगर पालिका राजगढ़ द्वारा अपनी अपनी पदस्थापन अवधि में नगर पालिका राजगढ़ के अनुपयोगी सामान की निलामी नहीं की जाकर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खंड 2 के की पालना नहीं की गई उक्त कार्य के लिये तत्कालीन व

वर्तमान अधिशाषी अधिकारी व स्टोर प्रभारी का समय अवधि में निलामी करने का दायित्व का निर्वहन किया जाना था जो नहीं किया गया। उपरोक्त के द्वारा वित्तीय नियम/आदेशों की अवहेलना करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। इस प्रकार नगर पालिका राजगढ़ जिला अलवर के तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी श्री नवीन मीणा, सहायक अभियंता श्री सतीश कुमार मीणा, सहायक अभियंता श्री नवीन कुमार, अधिशाषी अभियंता द्वारा संवेदक फर्म सैनी ट्रेडिंग कम्पनी प्रोपराईटर श्री लल्लू प्रसाद सैनी को 83297/-रूपये का नियम विरुद्ध अधिक भुगतान कर राजकोष को अनुचित हानि कारित करना पाया जाने से उक्त आरोपितों का यह कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 (सी), 13 (1)(ए)सपठित, 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120 बी भा.द.स के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित होना प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त सर्व श्री (1) नवीन कुमार मीणा पुत्र श्री रामप्रसाद मीणा, जाति मीणा, उम्र 37 साल निवासी ग्राम जैतपुर तहसील महुवा जिला दौसा तत्कालीन अधिशाषी अभियंता एवं सहायक अभियंता नगर पालिका राजगढ़, हाल अधिशाषी अभियंता, बीकानेर विकास प्राधिकरण (2) श्री सतीश कुमार मीणा, पुत्र श्री कैलाश चन्द मीणा जाति मीणा उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम गिरधारीपुरा पोस्ट हिंवां तहसील सिकराज जिला दौसा तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता, नगर पालिका राजगढ़, हाल सहायक अभियंता नगर पालिका चाकसू (3) श्री लल्लू प्रसाद सैनी पुत्र श्री छाजुराम सैनी जाति माली उम्र 55 साल निवासी ग्राम खव्वारावजी पोस्ट अपरदा तहसील नाँगल, जिला दौसा व अन्य के विरुद्ध उनके द्वारा कारित अपराध के समस्त पहलुओं पर विस्तृत अनुसंधान करने हेतु उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज. जयपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट सादर प्रेषित है। भवदीय (महेन्द्र कुमार) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर।.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेन्द्र कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 (सी), 13 (1)(ए)सपठित, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120 बी भा.द.स. में आरोपीगण (1) नवीन कुमार मीणा पुत्र श्री रामप्रसाद मीणा, जाति मीणा, उम्र 37 साल निवासी ग्राम जैतपुर तहसील महुवा जिला दौसा तत्कालीन अधिशाषी अभियंता एवं सहायक अभियंता नगर पालिका राजगढ़, हाल अधिशाषी अभियंता, बीकानेर विकास प्राधिकरण (2) श्री सतीश कुमार मीणा, पुत्र श्री कैलाश चन्द मीणा जाति मीणा उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम गिरधारीपुरा पोस्ट हिंवां तहसील सिकराज जिला दौसा तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता, नगर पालिका राजगढ़, हाल सहायक अभियंता नगर पालिका चाकसू (3) श्री लल्लू प्रसाद सैनी पुत्र श्री छाजुराम सैनी जाति माली उम्र 55 साल निवासी ग्राम खव्वारावजी पोस्ट अपरदा तहसील नाँगल, जिला दौसा व अन्य के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री नवल किशोर मीणा, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो दौसा को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 115 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 501-05 दिनांक 07.04.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:- 1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर, 2. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर, 3. उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर चतुर्थ, 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर-प्रथम। 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परिवाद, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर (प्राथमिक जाँच संख्या 27/2023) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख द्वारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

(2) Directed (Name of I.O.): NAVAL KISHORE Rank or (या)
(जाँच अधिकारी का नाम): MEENA (पद): उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to
(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivan
Location: Rajasthan,IN
Date: 08/04/2025 14:27

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	20/07/1983				
2	Male	05/06/1985				
3	Male	1970				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दोत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा / बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)